उच्च शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,
भोपाल

क्रमांक 271/सउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 26/05/09

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः—निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदाय करने के संबंध में।

—:0:—

गत वर्षों में सम्बद्धता प्रदाय करने के प्रकरणों में शासन एवं विश्वविद्यालय के द्वारा दिये गये निर्णयों को बड़ी संख्या में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में चुनौती दी गयी है। इन याचिकाओं पर माननीय न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निजी महाविद्यालयों को अनुमति देने के पूर्व की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लायी जाए, जिससे त्रुटि की संभावनाएं कम हों।

इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के द्वारा आवेदक महाविद्यालय की अधोसंरचना के संबंध में निरीक्षण के दौरान प्राप्त की गयी सी.डी. को संबंधित विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जाए, ताकि कोई भी नागरिक निजी महाविद्यालय की भवन एवं अधोसंरचना की जानकारी विश्वविद्यालय की वैबसाईट से प्राप्त कर सके तथा जिन महाविद्यालयों के अधोसंरचना में कमी पायी जाती है उसकी शिकायत प्रमाण सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भेज सके, ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर ही त्रुटि का निराकरण किया जा सके।

कृपया आपके विश्वविद्यालय के द्वारा गत वर्ष प्रदाय की गयी सम्बद्धता एवं इस वर्ष प्रदाय की जाने वाली सम्बद्धता के महाविद्यालयों से संबंधित निरीक्षण सी.डी. दिनांक 30 जून 2009 तक विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रकाशित कर उसका प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
(आशीष उपाध्याय)
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. क्रमांक 272/सउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 26/05/09

प्रतिलिपिः—

1— कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2— निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3— निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

(हस्ताक्षर)
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,